प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-09 दिसम्बर, 2013

विषय:-**पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य एवं रोग निदान सेवाओं का सुधार व विस्तार (जि0यो0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग के पत्र सं0-410/सा-1/एक्स-120(188)/जि.यो./ 2013-14, दि0-22-10-13 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से पशुचिकित्सालय बॉसी, जनपद सिद्धार्थनगर के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु वांछित कुल धनराशि रू0 12.01 लाख के सापेक्ष रू0 6.37 लाख (रूपये छः लाख सैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीक़ति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

2- आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्माण एजेन्सी द्वारा समस्त कार्य को 06 माह के अन्दर सम्पन्न कराया जायेगा। यदि निश्चित अवधि में कार्य पूरा नहीं कराया जाता तो संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/निदेशक, पशुपालन विभाग का यह दायित्व होगा कि वह कारणों का उल्लेख करते हुये इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायें तथा वे यह भी सुनिश्चित करेगें कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही हो एवं उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो। संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निर्माणदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने के पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी। संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पाक्षिक रूप से निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करेगें तथा स्थलीय निरीक्षण करेगें।

3- निर्माण कार्यों की प्रगति आख्या एवं उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समय-समय पर निर्माण इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखा शीर्षक-"4403'पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य'-03-पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-1038/दस-2013, दिनांक 09.12.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-4/4004(1)/सैंतीस-2-2013- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ/उप निदेशक, संबंधित मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि वे निर्माण कार्य का व्यक्तिगत रूप से प्रतिमाह अनुश्रवण करते हुये यह सुनिश्चित करेगें कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित समयावधि में सम्पन्न हो तथा वे निर्माण कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति की अद्यतन स्थिति से समय-समय पर शासन को अवगत करायेगें।
5. सहायक निदेशक (नियो.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7. संबंधित कार्यदायी संस्था।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अमर सेन सिंह
उप सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in